न्यायालय अंचल अधिकारी, डुमरी

ऑनलाईन विविध वाद सं0—17/2023—24

श्री अनिल कुमार महतो एवं अन्य **बनाम** इन्द्रजीत चौधरी

आदेश की क्र0 सं0 ए0 तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश
10·01·25	आवेदक श्री अनिल कुमार महतो, गाम—गलागी, थाना—निमियाँघाट, जिला—गिरिडीह एवं ग्राम गलागी के अन्य ग्रामीण द्वारा आवेदन समर्पित कर आवेदित किया गया हैं कि मौजा—गलागी, खाता सं0—69, प्लॉट सं0—455 सरकारी गैरमजरूआ भूमि पर श्री इन्द्रजीत चौधरी पिता—तुलसी चौधरी के द्वारा अवैध रूप से भूमि को कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा हैं। जबकी उक्त भूमि वर्षो से सार्वजनीक रूप से ग्रामीणों द्वारा उपयोग मे लाते आ रहे हैं। आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसमें राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं कि मौजा—गलागी, खाता सं0—69, प्लॉट सं0—455, रकबा—21.35 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि हैं। उक्त भूमि पर इन्द्रजीत चौधरी पिता—तुलसी चौधरी द्वारा बार—बार निर्माण कार्य किया जा रहा हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा काम करने से रोक लगाया गया था। अतः इन्द्रजीत चौधरी को नोटिस कर भूमि संबंधी कागजातो की माँग किया जा सकता हैं। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस कर निंधारित तिथि को अपनी उपस्थित दर्ज कराते हुए अपना—अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया । जिसमें उभय पक्ष अपने अपने उपस्थित में भूमि संबंधित कागजातो को प्रस्तुत कर अपना अपना पक्ष रखें। प्रथम पक्ष की ओर से श्री अनिल कुमार महतो वगैरह द्वारा बताया गया की विषयांकित भूमि मौजा—गलागी, खाता सं0—69, प्लॉट सं0—455 गैरमजरूआ खास खाते की भूमि हैं। जसपर वर्षो से ग्रामीणो द्वारा सार्वजनीक रूप से उपयोग में लाते आ रहे हैं। परन्तु वर्तमान में द्वितीय पक्ष के श्री इन्द्रजीत चौधरी द्वारा बाजबरन निर्माण कार्य किया जा रहा हैं। जिससे ग्रामीणो में काफी आक्रोश हैं। अतः इन्हे भूमि पर काम रकने से रोक जाय। द्वितीय पक्ष के श्री इन्द्रजीत चौधरी पिता—तुलसी चौधरी की ओर से भूमि संबंधी कागजात/लगान रसीद वगैहर एवं कोर्ट का फैसलानाम की प्रति प्रस्तुत किया गया। जिसके अवलोकन से यह प्रतित होता है कि उक्त विषयांकित भूमि मौजा—गलागी, खाता सं0—69, प्लॉट सं0—455, 520 एवं अन्य प्लॉटो को मिलाकर कुल रकबा—21.00 एकड़ भूमि के संबंध में द्वितीय पक्ष को डिग्री प्राप्त हैं। परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा कोर्ट की सम्पूर्ण Order Sheet की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा हैं कि किस वाद संख्या के तहत द्वितीय पक्ष को डिग्री प्राप्त हैं। ———आदेश——— उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत ब्यान एवं कागजातो के अवलोकनोपरान्त यह ज्ञात होता हैं कि विषयांकित भूमि मौजा—गलागी, खाता सं0—69, प्लॉट सं0—455 पर कोर्ट द्वारा किये गये फैसले के आधार पर द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि पर दावा किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता हैं। क्योंकि उभय पक्ष विषयांकित भूमि पर अपना—अपना दावा करते हैं जिसके लिए उभय पक्ष चाहे तो मामले को सक्षम न्यायालय में ले जाकर मामले का निष्पादन कराने हेतु स्वत्रंत हैं। इसी के साथ अभिलेख का अग्रेतर कार्यवाही बंद किया जाता हैं। लेखापित एवं संशोधित। Digitally signed by Shashi Bhushan Verma Date: 2025.03.04 11:21:50 +05:30 Location: 192.168.231.188 10·01·25 अंचल अधिकारी, डुमरी। 10·01·25 अंचल अधिकारी, डुमरी।	